

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर-302005 ई-मेल-add4ng@gmail.com दुरभाष संख्या-0141-2222683

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/जोन-बीकानेर/अनुमति/2024/131

दिनांक :- 03.05.2024

:- आदेश :-

निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 के बैच से जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफरी प्रशिक्षण करने की स्वीकृति निम्न शर्तों के आधार पर प्रदान की जाती है।

क्र. स.	कार्यकर्ता का नाम	पद	पद स्थापन स्थान	अग्रिम अध्ययन का प्रकार जिसके लिये अनुमति चाही गई है।
1	सरोज कुमारी	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	उप स्वास्थ्य केन्द्र-शेरडा, पीएचसी-डाबडी, खण्ड-भादरा हनुमानगढ़	जीएनएम वर्ष 2022-23
2	किरणबाला	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	उप स्वास्थ्य केन्द्र-35 एसटीजी, खण्ड-पीलीबंगा हनुमानगढ़	जीएनएम वर्ष 2023-24
3	मीता देवी	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	उप स्वास्थ्य केन्द्र-मुन्नावाली हनुमानगढ़	जीएनएम वर्ष 2023-24
4	सरोज बाई	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	उप स्वास्थ्य केन्द्र-6-8 एलएलडब्ल्यू, हनुमानगढ़	जीएनएम वर्ष 2023-24
5	सरोज कुमारी	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	उप स्वास्थ्य केन्द्र-3 एचएलएम जोरावरपुरा, हनुमानगढ़	जीएनएम वर्ष 2023-24
6	अनिता रानी	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-मुण्डा, हनुमानगढ़	जीएनएम वर्ष 2023-24
7	प्रवीण सिंह	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	उप स्वास्थ्य केन्द्र-मैनावाली, हनुमानगढ़	जीएनएम वर्ष 2023-24
8	सावित्री	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	उप स्वास्थ्य केन्द्र-पिचकराई, खण्ड-नोहर, हनुमानगढ़	जीएनएम वर्ष 2023-24

शर्तों:-

- राज्य सेवा में कोई व्यवधान नहीं होगा।
- राज्य सरकार / विभाग द्वारा किसी प्रकार का वित्तीय भार वहन नहीं किया जावेगा।
- परीक्षा कोर्स में उत्तीर्ण होने के पश्चात किसी प्रकार की पदोन्नति एवं वित्तीय भार की मांग नहीं करेंगे।
- परीक्षा दिवस का ही अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।
- परीक्षा की तैयारी हेतु कोई अवकाश देय नहीं होगा।
- नियमित कक्षा हेतु कोई अवकाश देय नहीं होगा।
- राज्य हित में उक्त स्वीकृति को कभी भी निरस्त किया जा सकेगा।
- उक्त कार्मिक यदि संविदा/अनुबन्ध पर कार्यरत है तो उस पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
- उक्त में से जिन कार्मिकाओं का चयन विभागीय कोटे (Inservice) में नहीं हुआ है उन्हें नियमानुसार अध्ययन अवकाश देय नहीं होगा।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/जोन-बीकानेर/अनुमति/2024/131

दिनांक :- 03.05.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-बीकानेर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़।
- संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
- संबंधित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- संबंधित प्रशिक्षण संस्थान को सूचनार्थ।
- प्रभारी सर्वर रुम उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर ई-मेल करे।
- आदेश/निजी पत्रावली।

RajKaj Ref  
6890888

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma  
Designation: Director  
Date :02-05-2024 05:21:11